



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

पंजीकृत पावती
उल्लंघन पत्र
माखुपूरा औद्योगिक क्षेत्र
Makhupura Industrial Area
अजमेर.-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)
फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165
Email-ro.ajmer@ibm.gov.in

Mine Code: 38RAJ24005

संख्या : RAJ/SRH-26/LST-5

दिनांक : 01.07.2022

प्रेषित : खान एजेंट, ठण्डीबेरी चूना पत्थर खान,
मेसर्स अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड (पूर्व में बिनानी सीमेंट लिमिटेड),
पोस्ट- आदित्य नगर, जिला-सिरोही (राजस्थान) 307031
Email- gajendra.s@adityabirla.com

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your
Thandiberi Limestone Mine (Lease area 256.0Hect.) situated in Sirohi District of Rajasthan State.
महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 10.06.2022 & 11.06.2022 by the undersigned in presence of Shri Gajendra Singh Shekhawat, Mines Agent:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan (Approved on 16.12.2020): - 1) During the year 2021-22 exploration was proposed by drilling of 53 bore holes (5008.64m) but only 21 bore holes (2024m) drilling has been carried out.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गत:
(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंधान की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय
दा.व. (15/07/22)
01/07/2022
(डी. आर. गुर्जर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा) ।
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सिरोही (राजस्थान)।
- 4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो